| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|

**वाद संख्या–10 / 2023**

22.03.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह उपस्थित। आज की सुनवाई ऑडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह का एक लिखित प्रतिवेदन मौजूद है, जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि उन्हें भारतीय खाद्य निगम द्वारा आबंटित अनाज से कम अनाज उपलब्ध कराया गया। इस तर्क के विपरीत शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि यदि जिले को कम अनाज उपलब्ध कराया गया था, तो फिर प्रति यूनिट ढ़ाई कि0ग्रा0 कम अनाज दे कर ऑनलाईन मे पूर्ण अनाज वितरण क्यों दर्शाया गया है। इस संदर्भ में जिला आपूर्ति पदाधिकारी से सवाल करने पर उनका कहना है कि हो सकता है कि डीलर ने गलती से ऐसा कर दिया हो।

आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता है। अनाज कम आया या नहीं आया, खाद्य आयोग इसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकता। खाद्य आयोग की ये जिम्मवारी है कि हर लाभुक को ससमय अहर्ता के अनुसार अनाज उपलब्ध कराया जाए।

यदि अनाज पिछले कई महिनों से कम दिया जा रहा है तो सवा गुणा हर्जाना और बकाया राशन शिकायतकर्ता को उपलब्ध हो ये भी सुनिश्चित किया जाए। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि शिकायतकर्ता को सभी बकाया अनाज सवा गुणा हर्जाने के साथ 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और ऐसा कर दिए जाने का प्रमाण भेजें अन्यथा आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई कराने को बाध्य होगा।

मामले को अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–25.04.2023 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजे।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

अपरिहार्य कारण से आज की सुनवाई स्थगित की जाती है। सुनवाई की अगली तिथि दि0. 16.05.2023 को निर्धारित की जाती है। उभयपक्ष को सूचित कर दें।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Court Hearing.docx 93

25.4.23